न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्र कुमार RAS

अनुवान मनफूल आदि बनाम श्योनारायण आदि

वाद संख्या 204 वर्ष 2018

निर्णय दिनांकः– 18.06.2025

1. मनफुल मृतक दौराने विचारण वाद जरिये विधिक उतराधिकारीः–

1/1. भंवरी पत्नी स्व0 मनफूल

1/2. श्योकरण
1/3. लिच्छुराम
1/4. भीखाराम
} पुत्रगण स्व. मनफूल

1/5. प्रमेश्वरी
1/6. केशर
1/7. सिलोचना
1/8. गिरदावरी
1/9. विद्या
} पुत्रीयान स्व. मनफूल

मनफूल के मृतक पुत्र भगवानाराम के विरास्तन उतराधिकारी

1/10. जीवणी पत्नी स्व. भगवाना राम

1/11. भंवरलाल
1/12. देवीलाल
1/13. गौरीशंकर
1/14. दीपचंद
} पुत्रगण स्व. भगवाना राम

1/15. किसनी
1/16. विमला
} पुत्रीयान स्व. भगवाना राम

} जाति जांगिड़ निवासीगण रैयाटुण्डा तहसील तारानगर जिला चूरू

2. सुलतान मृतक दौराने विचारण वाद विधिक उतराधिकारीः–

2/1. धर्मपाल
2/2. रामकुमार
2/3. औमप्रकाश
2/4. जगदीश
} पुत्रगण स्व. सुलतान

2/5. प्रमेश्वरी
2/6. बोगी
2/7. बिदामी
2/8. कृष्णा देवी
} पुत्रीयान स्व. सुलतान

} जाति जांगिड़ निवासीगण रैयाटुण्डा तहसील तारानगर जिला चूरू

3. डूंगरराम पुत्र मामचन्द, जाति जांगिड़, निवासी रैयाटुण्डा, तहसील तारानगर जिला चूरू

4. भागाराम मृतक दौराने विचारण वाद उतराधिकारीः–

4/1. रतन लाल
4/2. जयप्रकाश
} पुत्रगण स्व. भागाराम

4/3. शारदा
4/4. सावित्री
4/5. गोमती
} पुत्रीयान स्व. भागाराम

5. बिरमाराम
6. जयसिंह
} पुत्र स्व. हरलाल

7. बुधाराम
8. शंकरलाल
9. गोमदाराम
10. राकेश
11. महेन्द्र
} पुत्रगण स्व. रामेश्वरलाल

} जाति जांगिड़ निवासीगण रैयाटुण्डा तहसील तारानगर जिला चूरू

वादीगण

Rajendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

वनाम

1. श्योनारायण
2. अमीलाल } पुत्रगण लादूराम
3. मनीराम
4. दाकोरी पत्नी लादूराम
5. नोपाराम पुत्र हेमराज
6. महावीर पुत्र हेमराम

} जाति जांगिड़ निवासीगण रैयाटुण्डा तहसील तारानगर जिला चूरू

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू
8. मैनेजर पी.एन.बी. शाखा साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू
9. मैनेजर एस.बी.बी.जे. शाखा साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू
10. मैनेजर बी.आर.जी.बी. बैंक शाखा रैयाटुण्डा तहसील तारानगर जिला चूरू
11. मैनेजर बी.आर.जी.बी. बैंक शाखा रैयाटुण्डा तहसील तारानगर जिला चूरू

—प्रतिवादीगण—

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 5 उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थिति :—

1. श्री लक्ष्मीनारायण सहारण एवं पूर्णाराम सांगवान अधिवक्ता वास्ते वादी 1/1 ता 1/16, 2/1 ता 2/8, 4/1 ता 4/5
2. श्री पूर्णाराम सांगवान एडवोकेट वास्ते वादी 3, 5 ता 11
3. श्री बलवीर सिंह जांगिड़ अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं. 1 ता 6
4. तहसीलदार तारानगर वास्ते पैरोकार राज

—: निर्णय :—

वादीगण द्वारा प्रस्तुत इस दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खसरा नं. 85 तादादी 33—13 बीघा, खसरा नं. 825 तादादी 68—04 बीघा कुल तादादी 101—17 बीघा वाके रोही रैयाटुण्डा तहसील तारानगर में स्थित है। जिसके एकमात्र खातेदार काबिज काश्तकार वादीगण हैं। यही विवादित कृषिभूमि है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत कुर्सीनामा के अनुसार उक्त विवादित आराजी पूर्व से वादीगण के दादा मुखाराम के मालिकाना हक की कृषिभूमि थी। मुखाराम की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मामचन्द, उदाराम के नाम से उक्त कृषिभूमि आई जिस पर मामचन्द व उदाराम का अपने जीवनकाल में विवादित कृषिभूमि पर कब्जा काश्त रहा है तत्पश्चात मामचन्द की मृत्यु के बाद वादीगण को विरास्तन उक्त कृषिभूमि मिली जिस पर वादीगण का ही कब्जा काश्त करीब 80 वर्षो से चला आ रहा है। इस प्रकार गिरदावरी अनुसार कब्जा काश्त वादीगण का ही था सम्वत 2022 की जमाबन्दी तथा खसरा गिरदावरी 2011 से 2020 तक के अनुसार भी वादीगण 101—17 बीघा कृषिभूमि रोही रैयाटुण्डा के खातेदार काश्तकार व काबिज काश्तकार था। इस प्रकार 101—17 दीघा कृषिभूमि के एकमात्र काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण के दादा मुखाराम थे जिसने अपने जीवन काल में उक्त कृषिभूमि को काश्त किया था मुखाराम की मृत्यु के बाद उसके वारीसान वादीगण उक्त कृषिभूमि को संयुक्त रूप से तथा अलग अलग काश्त करते रहे है जिनका ही कब्जा काश्त

उपखण्ड अ...
तारानगर (चूरू)

रहा है भागाराम व हरलाल की मृत्यु के वाद उनके वारिसान वादीगण सं. 5 ता 11 विवादित कृषिभूमि को काश्त करते आ रहे है जो वर्तमान में भी उक्त भूमि पर काविज काश्तकार है।

उक्त कृषिभूमि को सम्वत 2010 से 2022 तक वादीगण के दादा मुखाराम ने उक्त खसरा नम्बर की जमीन को कड़ी मेहनत करके काश्त की है तथा समय समय पर ऊँचे ऊँचे रेत के टिलों को सवांर कर उसे काबिल काश्त बनाया था। फिर सेटलमेंट के समय उक्त दोनों खसरा नं. की भूमि वादीगण के दादा स्व. मामचन्द व उदाराम के नाम से रिकार्ड में दर्ज हुई जो कि खसरा गिरदावरी सम्वत् 2011 से 2014 व खसरा गिरदावरी 2015 से 2020 से स्पष्ट साबित है। वादीगण का सम्वत् 2010 से आज तक विना किसी बाधा व रूकावट के विवादित कृषिभूमि पर कब्जा काश्त जारी है जिसका तावान भी वादीगण के पिता मामचन्द व अन्य वादीगण के दादा मामचन्द द्वारा तहसील कार्यालय तारानगर में जमा करवाई जाती रही है जिनकी रसीद संलग्न दावा की जा रही है जिनसे भी साबित है कि उपरोक्त जमीन पर वादीगण का ही कब्जा काश्त करीब 80 साल से अधिक समय से ही रहा है तथा इस प्रकार उपरोक्त समस्त 101–17 बीघा की कृषिभूमि के मालिक व काबिज काश्तकार वादीगण ही है, जो कि विना किसी रोक टोक व बाधा के शांतिपूर्ण तरीके से निर्बाध रूप से विवादित कृषिभूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं इस प्रकार वादीगण सभी प्रतिकुल कब्जा के आधार पर उपरोक्त समस्त कृषिभूमि के एकमात्र मालिक हैं। प्रतिवादीगण के पिता व दावा ने राजस्व कर्मचारियों को अपने प्रभाव में लेकर वादीगण के पिता व दादा को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होने की वजह से राजस्व रिकार्ड में वादीगण का हिस्सा 33–15 बीघा ही वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज करवाया तथा वादीगण के मालिकाना हक की भूमि में अपना नाम भी राजस्व रेकार्ड में गलत रूप से दर्ज करवा लिया। जबकि वादीगण कानूनन समस्त कृषिभूमि 101–17 बीघा के खातेदार कशतकार है जिसकी रिकार्ड दुरस्ती हेतु यह दावा पेश किया जा रहा है।

प्रतिवादीगण सभी जो कि वादीगण के दादा मुखराम के भाई जोरा व सुरजाराम के वारिस है। प्रतिवादीगण का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित कृषिभूमि में वादीगण के हक व हिस्सा पर उनके नाम होने की वजह से उनके मन में लालच आ गया है। जबकि प्रतिवादीगण के हक व हिस्सा की कृषिभूमि गांव रैयाटुण्डा की रोही में विरास्तन भूमि अलग से है जिसका राजस्व रेकार्ड भी अलग है। जबकि समस्त कृषिभूमि के मालिक वादीगण ही हैं क्योंकि वादीगण सं. 1 ता 4 के दादा व वादीगण सं. 5 ता 11 के पड़दादा मुखराम ने ही उक्त समस्त कृषिभूमि को अपने कब्जा में लेकर काबिल काश्त बनाया था। इस प्रकार उपरोक्त समस्त कृषिभूमि कानूनन् वादीगण के पूर्वज मुखराम के नाम दर्ज होनी चाहिये थे तथा उनकी मृत्यु के बाद समस्त कृषिभूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिये थी लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके विवादित कृषिभूमि में बाला बाला रूप से अपना नाम दर्ज करवा लिया। जिसका वादीगण एवं उनके पूर्वजों को किसी प्रकार से ज्ञान नहीं रहा था। इस प्रकार वर्तमान जमाबन्दी में अंकन अपने नाम का प्रतिवादीगण नाजायज फायदा उठाकर वादीगण की कृषिभूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। जिसके लिए उन्होंने दो तीन दिन पहले सींव काटकर वादीगण की कृषिभूमि पर कब्जा करने की कौशिश की है। वादीगण के द्वारा मना करने के बावजूद भी प्रतिवादीगण वादीगण की कृषिभूमि पर जबजस्ती नाजायज कब्जा करना चाहते है। प्रतिवादीगण सभी बाहुवली एवं राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्ति है जो बिना अधिकार कानून अपने हाथ में लेकर लाठी के बल पर वादीगण के खेत पर कब्जा करने पर आमदा है जिसका उन्हें कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण सभी ने वादीगण को एलानिया तौर पर धमकी दी है कि वे वादीगण के खेत में जबरजस्ती कब्जा करके रहेगे तथा राजस्व रिकार्ड में अंकन अपने नाम के आधार पर विवादित कृषिभूमि को किसी अजनबी केता को विकय करके रहेगें। प्रतिवादीगण जैसा की जाहिर करते है अपने मनसूबे में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को ऐसी अपूर्तिय क्षति होगी जिसका मुद्रा में किसी प्रकार का कोई मूल्याकंन नहीं होगा एव उनके सिविल अधिकारों पर कुठाराघात होगा इसलिए वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया कि अप्रार्थीगण के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर प्रतिवादीगण को चिरस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित करावे कि वे वादीगण के मालिकाना

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

हक की कृषिभूमि पर जमावन्दी में दर्ज अपने नाम का फायदा उठाकर किसी प्रकार की दखलादांजी नही करें तथा उक्त कृषिभूमि को किसी अन्य को रहन, विकय आदि नहीं करें।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा तथा अन्य लोगों से भी कहलवाया कि वे वादीगण का 101–17 बीघा का खातेदार काश्तकार मान लेवे तथा जमावन्दी में चले आ रहे अपने नाम को डिलिट करवा देवें तथा खातेदारी भूमि में सींवं काटकर जबरन प्रवेश नहीं करें तथा ना ही वादीगण की खातेदारी भूमि को वादीगण को काश्त करने से रोके तथा ना ही उपयोग उपभोग में बाधा डाले तथा ना ही किसी को विक्रय करें तो वे पहले तो सहमत हो गये लेकिन अब दिनांक 04.06.2018 को वमुकाम रैयाटुण्डा में ऐसा करने से साफ इंकार हो गये। इसलिए यही तारीख वाद कारण है तथा वादाधार वादीगण का विवादित आराजी का खातेदार व काविज काश्तकार होने से प्राप्त है। दावा रिकार्ड दुरूस्ती व घोषणात्मक का है तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामदं तहसीलदार तारानगर द्वारा किया जाना है इसलिए तहसीलदार तारानगर को आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी सं. 7 बनाया है।

घोषित किया जावे कि खेत खसरा नं. 85 तादादी 33–13 बीघा, खसरा नं. 825 तादादी 68–04 बीघा कुल तादादी 101–17 बीघा वाके रोही रैयाटुण्डा तहसील तारानगर में वादीगण समस्त कृषिभूमि के खातेदार व काविज काश्तकार तथा एकमात्र मालिक है तथा वादीगण को 101–17 बीघा कृषिभूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर वादीगण के नाम से 101–17 बीघा कृषिभूमि राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे तथा चिरस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पावन्द किया जावे कि वे उक्त कृषिभूमि में सींव काटकर जबरन प्रवेश नहीं करें व ना ही कोई हिस्सा जबरन लाठी के वल पर काश्त करें तथा ना ही कोई ऐसा कार्य व अकार्य स्वयं करे तथा ना ही किसी अन्य से करवाये जिससे वादीगण के उपयोग उपभोग कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जिससे वादीगण के कानूनी आधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति वनाये रखे। वगैरह–वगैरह पेश किया है।

वाद प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का वकालतनामा अधिवक्ता श्री बलवीर सिंह जांगिड़ ने पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की ओर से जबाब दावा मय काऊन्टर क्लेम पेश किया गया कि कृषि भूमियों के ख० न०, रकबा सही होना स्वीकार है लेकिन ख० न० 85 की दर्ज रोही तथा जिसके एक मात्र खातेदार काश्तकार वादीगण होना व यही विवादित होना गलत व झूठे लिखे होने से अस्वीकार हैं। हकीकत में उक्त कृषि भूमियों के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 संयुक्त खातेदार व काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं।

वंश वृक्ष गलत व अधूर प्रस्तुत होने से लिखेनुसार स्वीकार नहीं हैं। सही वंश वृक्ष निम्न प्रकार से है:–

हरलाल के वारिसानः– बाधू पत्नि मौजूद, बिरमाराम व जयसिंह पुत्रगण मौजूद हैं।

रामेश्वर के वारिसानः– कमला पत्नि मौजूद, बुधाराम, शंकरलाल, गोमदराम, राकेश, महेन्द्र पुत्रगण मौजूद हैं।

जोराराम के वारिसः– हेमराज पुत्र फौत, जिसके वारिसानः– गुलाबी पत्नि फौत, नोपाराम व महावीर पुत्रगण मौजूद हैं।

सुरजाराम के वारिसानः चुनीराम पुत्र फौत, लिछमां पत्नि फौत, लादूराम दतक पुत्र फौत चुनीराम के पत्नि दौकोरी मौजूद जो उसकी मृत्यू के बाद लादूराम के नाते की पत्नि बनी है। इस कारण से लादूराम के वारिसान निम्न हैं:–

दाकौरी पत्नि, श्योनारायण, अमीलाल उर्फ ईमीलाल, मनीराम पुत्रगण सभी मौजूद हैं।

वादगत आराजी को वादीगण के दादा मुखाराम के मालिकाना हक की व उसकी मृत्यू के वाद मामचन्द व उदाराम के नाम की तत्पश्चात मामचन्द की मृत्यू के बाद वादीगण को विरास्त में मिलना। जिस पर वादीगण का 80 सालों से कब्जा काश्त चला आ रहा होना, संवत 2022 की

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

जमाबंदी व 2011 से 2020 तक की खसरा गिरदावरियों के अनुसार भी वादीगण 101. 17 बीघा कृषि भूमि रोही रैयाटुण्डा के एक मात्र काबिज खातेदार काश्तकार था। इस प्रकार 101.17 बीघा कृषि भूमि के एक मात्र काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण के दादा मुखाराम थे। जिसने अपने जीवन काल में उक्त वादीगण उक्त कृषि भूमि को संयुक्त रूप से तथा अलग अलग काश्त करते रहे हैं। जिनका कब्जा काश्त रहा है। भागराम व हरलाल की मृत्यू के बाद उनके वारिसान वादीगण संख्या 5 ता 11 विवादित कृषि भूमि को काश्त करते आ रहे हैं जो वर्तमान में भी उक्त भूमि पर काबिज काश्तकार हैं। इस मद में आगे यह भी गलत लिखा है कि इस प्रकार मुखाराम की मृत्यू के बाद उसके जायज वारिसान वादीगण ही विवादित कृषि भूमि के एक मात्र खातेदार काश्तकार वादीगण ही हैं। जिसकी घोषणा करवाने के लिये यह घोषणात्मक वाद एंव रिकार्ड दुरूस्ती का वाद पेश किया जा रहा है। वास्तविकता में वादगत कृषि भूमियां हर प्रकार से वादीगण के पूर्वज मामचन्द के 1/3 हिस्सा की व प्रतिवादीगण 1 ता 6 के पूर्वजों की 2/3 हिस्सा व हिस्सा बराबर की खातेदारी व कब्जा काश्त की चली आई हैं। जंहा तक जमाबंदी संवत 2022 तक व खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 2020 के अंकन का सवाल है, उक्त रेकार्ड मामचन्द मृतक ने संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा व कर्ता खानदान होने से ही उसने अकेले के नाम से नाम दर्ज करवा लिया जो मामचन्द, उदाराम, जोराराम व सुरजाराम ने आपसी सहमति से दुरूस्त कराया है। इस प्रकार से वादगत कृषि भूमि हमेशा से ही संयुक्तखातेदारी व कब्जे काश्त की चली आ रही होने से वादीगण किसी भी प्रकार से इस मद में दर्जानुसार अपने अकेलों के हक में खातेदारी घोषित करवाने के कानूनन अधिकारी नहीं है। मामचन्द का नाम रेकार्ड में उसने परिवार में सबसे बड़ा व कर्ता खानदान होने के कारण से ही राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर अकेले का नाम दर्ज करवा लिया जो मामचन्द, उदाराम, जोराराम व सुरजाराम ने आपसी सहमति से दुरूस्त कराया है। इस प्रकार से वादगत कृषि भूमि हमेशा से ही संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की चली आ रही होने से वादीगण किसी भी प्रकार से इस मद में दर्जानुसार अपने अकेलों के हक में खातेदारी घोषित करवाने के कानूनन अधिकारी नहीं हैं। हकीकत में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व हिस्सा बराबर 1/3 हिस्से के तथा प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 ब हिस्सा बराबर 1/3 हिससा के वादगत कृषि भूमि ख० न० 825 तादादी 68.04 बीघा वाके रोही रैयाटुण्डा तथा ख० न० 85 तादादी 33.13 बीघा वाके रोही ढ़ाणी माना तहसील तारानगर के खातेदार व काबिज काश्तकार हैं। जिनका आज दिन भी कब्जा काश्त मौके पर संयुक्त रूप से चला आ रहा है। इसलिये वादीगण किसी भी प्रकार से रेकार्ड दुरूस्त कराने के अधिकारी नहीं हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 वादीगण के दादा मुखराम के भाई जोरामा व सुरजाराम के वारिस हैं। वादगत कृषि भूमि हर प्रकार से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की चली आ रही है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 इनमें 2/3 हिस्से के राजस्व अभिलेखों में दर्ज खातेदार हैं। कानूनन राजस्व अभिलेखों में दर्ज किसी भी खातेदार के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। वादीगण के साथ ही प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से खातेदार व काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं। जिनके द्वारा किसी भी प्रकार से जबरन इस भूमि में प्रवेश करने व रेकार्ड में नाम डिलीट कराने की कोई स्थिति ही नहीं बनती है। इसलिये वादीगण को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के विरूद्ध किसी भी प्रकार से कोई वाद कारण व वादाधार प्राप्त नहीं है। इस वाद को पेश करने की कानूनन Locus Standi प्राप्त ना होने से वाद काबिले खारिज के है।

वादीगण ने अपने आचरण से इतने लम्बे अरसे के राजस्व अभिलेखों को स्वीकारा हैं। जिन राजस्व अभिलेखों को सही मानते हुवे उनके द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि पर K-C-C-भी P-N-B, B-R-G-B शाखा साहवा से ली हैं जो आज भी इसी रेकार्ड के अनुसार ही जारी हैं। जिससे अन्यथा कहने व करने से वादीगण कानूनन विबंधित (Estopped)। वादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता मामचन्द की मृत्यू का नामान्तकरण संख्या 516 दिनांक 25.05.1993 को कैम्प रैयाटुण्डा के ग्राम शिविर में तहसीलदार तारानगर द्वारा तस्दीक किया गया है। जंहा वादीगण सहित जन आम की मौजूदगी भी रही हैं। अब वादीगण इस रेकार्ड से अन्यथा कहने व करवाने के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। इसलिये वादीगण का यह वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

जवाब दावा के साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की ओर काउण्टर कलेम निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया–

कृषि भूमि ख० न० 825 तादादी 68.04 बीघा वाके रोही रैयाटुण्डा तथा ख० न० 85 तादादी 33.13 बीघा वाके रोही ढ़ाणी माना तहसील तारानगर में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व हिस्सा बराबर के 1/3 हिस्सा के व प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 व हिस्सा बराबर 1/3 हिस्से के राजस्व अभिलेखों में दर्ज खातेदार व काबिज काश्तकार हैं। जिनका इन कृषि भूमियों की काश्त को लेकर व सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 वादीगण से वादगत कृषि भूमि कुल तादादी 101.17 बीघा में से अपने 2/3 हिस्से का किस्मवार खाता विभाजन करवाकर राजस्व रेकार्ड अलग से कायम करवाना चाहते हैं। जिसके लिये यह विभाजन का अनुतोष मांगा गया है। जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने वादीगण को स्वंय भी कहा व अन्य मौजिज लोगों से भी कहलवाया कि वे मद संख्या 17 में दर्जानुसार प्रतिवादीगण के 2/3 हिस्से का किस्मवार खाता विभाजित करवा कर अलग से राजस्व रेकार्ड में अंकन करा देवें तो पहले तो वादीगण हां करते रहे लेकिन अंत में दिनांक 15.06.2018 को ऐसा करने व कराने से व मुकाम रैयाटुण्डा में साफ इंकार हो गये लिहाजा इसी तारीख को काऊन्टर क्लेम पेश करने का कारण पैदा हुआ है तथा काऊन्टर क्लेम पेश करने का आधार प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी चली आ रही होने से अरसे दराज से प्राप्त है।

कृषि भूमि ख० न० 825 तादादी 68.04 बीघा वाके रोही रैयाटुण्डा तथा ख० न० 85 तादादी 33.13 बीघा वाके रोही ढ़ाणी माना तहसील तारानगर में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व हिस्सा बराबर के 1/3 हिस्सा के व प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 व हिस्सा बराबर 1/3 हिस्से के राजस्व अभिलेखों में दर्ज कुल 2/3 हिस्से का वादीगण से किस्मवार खाता विभाजित कर राजस्व रेकार्ड में अंकन के लिये तहसीलदार तारानगर को आदेश जारी किया जावे।

वकील वादी व वादिगण स्वंय के अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.06.2019 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ओर से प्रस्तुत काउण्टर कलेम के लिए पत्रावली साक्ष्य काउण्टर कलेम में मुकरर की गई। वादीगण द्वारा दावा प्रतिस्थापित करने को प्रार्थना पत्र संख्या 71/2019 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी का प्रस्तुत किया था। जिसमें पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 द्वारा प्रार्थना पत्र संबंधित आगामी कार्यवाही मूल दावा में करने का आदेश पारित किया गया। जिसकी पालना में उक्त पत्रावली दावे के संलग्न की गई। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी को दिनांक 24.07.2024 को खारिज कर दिया गया। तथा प्रतिवादीगण के प्रतिदावा में दावा की भांति कार्यवाही की गई। वादीगण संख्या 1,2 व 4 के वारिसों को पत्रावली पर लिया गया।

वादीगण व प्रतिवादीगण ने स्वयं जरिये अधिवक्ता दिनांक 28.08.2024 को उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। उभयपक्ष के द्वारा राजीनामा सही होना स्वीकार किया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया, किन्तु उक्त राजीनामा की पुस्त पर तस्दीक के अंकन को सहवन से पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के हस्ताक्षर नही हो पाये थे। जबकि राजीनामा प्रस्तुत होने व तस्दीक का अंकन आदेशिका दिनांक 28.08.2024 में है। इसके बाबत उभय पक्षकारान द्वारा धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए राजीनामा तस्दीक होना माना गया। राजपैरोकार ने प्रकरण में राज्यहित निहित नहीं होना जाहिर किया। इस प्रकार दावा का कोई खण्डन पेश नही हुआ इसलिए तनकी कायम करने की जरूरत नहीं पड़ी। वकील उभय पक्षकारान ने साक्ष्य नही करवाने व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा राजीनामा के आधार पर दावा निस्तारित करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण कृषि भूमि के खाता विभाजन का है। दावा में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं तथा मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी डिक्री करवाने का हकदार है।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

–::आदेश::–

अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाने पर बरूये राजीनामा डिक्री किया जाता हैं तथा विवादित कृषि भूमि का खाता विभाजन बरूये राजीनामा निम्न प्रकार किया जाता हैं कि–

क. नक्शा में बरंग पीला से दर्ज ख.नं. 825 तादादी 17.2478 हैक्टेयर, वाके रोही मौजा रैयाटुण्डा तहसील तारानगर जिला चूरू में से तादादी 9.6478 हैक्ट. में से वादीगण संख्या 1/2 से 1/4 क्रमशः श्योकरण, लिच्छुराम, भीखाराम का कुल क्षेत्रफल 1.6080 हैक्ट. में से ब हिस्सा बराबर 3/4 हिस्सा तथा इसी में वादीगण संख्या 1/10 से 1/13 क्रमशः भंवरलाल, देवीलाल, गौरीशंकर, दीपचंद के ब हिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा कब्जे काश्त व खातेदारी में रहेगा और खसरा नं. 85 तादादी 8.5101 हैक्ट. रोही ढाणी माना में कुल 1/3 हिस्सा के क्षेत्रफल 2.8367 हैक्ट. में से वादीगण संख्या 1/2 से 1/4 क्रमशः श्योकरण, लिच्छुराम, भीखाराम के बने हिस्से के क्षेत्रफल 0.4727 हैक्ट. में से वादीगण संख्या 1/10 से 1/13 क्रमशः भंवरलाल, देवीलाल, गौरीशंकर, दीपचंद के ब हिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा काश्त व खातेदारी में रहेगा।

ख. नक्शा में बरंग पीला से दर्ज खसरा नं. 825 क्षेत्रफल 17.2478 हैक्ट. रोही मौजा रैयाटुण्डा, तहसील तारानगर, जिला चूरू में से तादादी 9.6478 हैक्ट. में से वादीगण संख्या 2/1 से 2/4 क्रमशः धर्मपाल, रामकुमार, औमप्रकाश, जगदीश के कब्जे काश्त व खातेदारी में कुल क्षेत्रफल 1.6080 में ब हिस्सा बराबर रहेगा और इसी प्रकार से खसरा नं. 85 रोही मौजा ढाणी माना, तहसील तारानगर जिला चूरू में वादीगण संख्या 2/1 से 2/4 क्रमशः धर्मपाल, रामकुमार, औमप्रकाश, जगदीश के कब्जे काश्त व खातेदारी में कुल क्षेत्रफल 0.4727 हैक्ट. ब हिस्सा बराबर रहेगी।

ग. नक्शा में बरंग पीला से दर्ज ख० न० 825 क्षेत्रफल 17.2478 हैक्टर रोही मौजा रैयाटुण्डा, तहसील तारानगर, जिला चूरू में से तादादी 9.6478 हैक्टर में से वादीगण संख्या 4/1 से 4/2 कमशः रतनलाल, जयप्रकाश के कब्जे काश्त व खातेदारी में कुल क्षेत्रफल 1.6080 रोही मौजा रैयाटुण्डा, तहसील तारानगर, जिला चूरू में ब हिस्सा बराबर रहेगा और इसी प्रकार से ख० न० 85 रोही मौजा ढ़ाणी माना, तहसील तारानगर, जिला चूरू के वादीगण संख्या 4/1 व 4/2 क्रमशः रतनलाल, जयप्रकाश के कब्जे काश्त व खातेदारी में कुल क्षेत्रफल 0.4727 हैक्टर ब हिस्सा बराबर रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Jayendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

घ. नक्शा में बरंग पीला से दर्ज ख० न० 825 क्षेत्रफल 17.2478 हैक्टर में से कुल तादादी 9.6478 हैक्टर रोही मौजा रैयाटुण्डा, तहसील तारानगर, जिला चूरू में से बादी संख्या 3 डूंगरराम के कब्जे काश्त व खातेदारी में कुल क्षेत्रफल 1.6080 हेक्ट. हिस्सा रहेगा और इसी प्रकार से ख० न० 85 रोही मौजा ढ़ाणी माना, तहसील तारानगर, जिला चूरू के वादी संख्या 3 डूंगरराम के कब्जे काश्त व खातेदारी में कुल क्षेत्रफल 0.4727 हेक्टर हिस्सा रहेगी।

ड़. नक्शा में बरंग पीला से दर्ज ख० न० 825 क्षेत्रफल 17.2478 हैक्टर में से कुल तादादी 9.6478 हैक्टर रोही मौजा रैयाटुण्डा, तहसील तारानगर, जिला चूरू में से वादी संख्या 5 व 6 क्रमशः बिरमाराम, जयसिंह के कब्जे काश्त व खातेदारी में कुल क्षेत्रफल 1.6080 हैक्टर हिस्सा की ब हिस्सा बराबर रहेगा और इसी प्रकार से ख० न० 85 रोही मौजा ढाणी माना, तहसील तारानगर, जिला चूरू के वादी संख्या 5 व 6 क्रमशः बिरमाराम, जयसिंह के कब्जे काश्त व खातेदारी में कुल क्षेत्रफल 0.4727 हैक्ट. ब हिस्सा बराबर रहेगी।

च. नक्शा में बरंग पीला से दर्ज ख० न० 825 क्षेत्रफल 17.2478 हैक्टर में से तादादी 9.6478 हैक्टर में से वादी संख्या 7 से 11 कमशः बुधाराम, शंकरलाल, गोमदराम, राकेश, महेन्द्र के कब्जे काश्त व खातेदारी में कुल क्षेत्रफल 1.6080 हैक्टर हिस्सा की ब हिस्सा बराबर रहेगी और इसी प्रकार से ख० न० 85 के वादी संख्या 7 से 11 कमशः बुधाराम, शंकरलाल, गोमदराम, राकेश, मंहेन्द्र के कब्जे काश्त व खातेदारी में कुल क्षेत्रफल 0.4727 हैक्टर ब हिस्सा बराबर रहेगी।

छ. नक्शा में बरंग काला से दर्ज ख० न० 825 क्षेत्रफल 17.2478 हैक्टर रोही मौजा रैयाटुण्डा, तहसील तारानगर, जिला चूरू में से कुल क्षेत्रफल 3.8000 हैक्टर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 कमशः श्योनारायण, अमीलाल, मनीराम के कब्जे काश्त व खातेदारी में ब हिस्सा बराबर रहेगी और इसी प्रकार से ख० न० 85 रोही मौजा ढ़ाणी माना, तहसील तारानगर, जिला चूरू के प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 क्रमशः श्योनारायण, अमीलाल, मनीराम के कब्जे काश्त व खातेदारी में कुल क्षेत्रफल 2.8367 हैक्टर ब हिस्सा बराबर रहेगी।

ज. नक्शा में बरंग सफेद से दर्ज ख० न० 825 क्षेत्रफल 17.2478 हैक्टर रोही मौजा रैयाटुण्डा, तहसील तारानगर, जिला चूरू में से कुल क्षेत्रफल 3.8000 हैक्टर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 कमशः श्योनारायण, अमीलाल, मनीराम के कब्जे काश्त व खातेदारी में ब हिस्सा बराबर रहेगी और इसी प्रकार से ख० न० 85 रोही मौजा ढाणी माना, तहसील तारानगर, जिला चूरू के

उपखण्ड अ...
तारानगर (चूरू)

प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 क्रमशः श्योनारायण, अमीलाल, मनीराम के कब्जे काश्त व खातेदारी में कुल क्षेत्रफल 2.8367 हैक्ट. ब हिस्सा बराबर रहेगी।

झ. उपर्युक्त भूमि का देयानुसार लगान राशि संबंधित पक्षकार/खातेदार ही अदा करेगें। जिन पक्षकारो की भूमि बैंक के रहन है वह यथावत रहेगी। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनवाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)